

कार्यालय उच्च प्रखण शिक्षा अधिकारी पल्लव श्रीवास्तव

आदेश क्रमांक ई-2-93 / 4017-20

दिनांक

24-9-93

विषय :- नौकरानियम 1993-94 को अध्यापक नियुक्ता जारी करने के लिए।

-XXXXX-

निम्नलिखित अराजकीय विद्यालयों को नौकरानियम 1993-94 के अन्तर्गत अध्यापक नियुक्ता अंतिम शर्तों पर भोजीय भत्ता प्रदान की जाती है।
क्रमांक अराजकीय विद्यालय का नाम जहाँ जहाँ अध्यापक नियुक्ता के लिए नियुक्ता की गई है।

निम्नलिखित अराजकीय विद्यालय सुल्तपुर रोड पल्लव। यहाँ के आठवीं तह 1993-94

- 1- विद्यालय में अध्यापक ट्रेन्ड जारी की जाये।
- 2- विद्यालय में आवश्यक अध्यापकों का लेन चक्र तैयार किया जाये।
- 3- विद्यालय में बस/मिनीबस द्वारा भ्रमणवित्त स्वयं तैयार किया जाये।
- 4- अध्यापकों के छुट्टी लेने के क्षेत्र के अन्तर्गत के हस्ताक्षर किया गया।
- 5- अध्यापकों को फीस और बस के खर्च की राशि दी जाये।
- 6- विद्यालय में लक्ष्मी प्रकाश के अन्तर्गत विद्यार्थीय नियमनुसार तैयार रखे जाये।
- 7- विद्यालय में दाखले एन्ट्रीडोर के आधार पर ना मिले जाये।
- 8- विद्यालय में छात्र की व्यवस्था की जाये।
- 9- सुल्तपुर रोड की धारा 214 का ध्यान करते हुये नियुक्ति पर लेखाने कार्यालय द्वारा की जाये। और हाईवायव रोड की धारा 222 का भी उल्लेखन ना करते हुये तैयार करने में आदेशित रहे। ध्यान रखा जाये।

जहाँ जहाँ अध्यापक नियुक्ता अधिकारी पल्लव

सुल्तपुर क्रमांक - 1000

इसकी प्रति निम्नलिखित सुल्तपुर के अराजकीय विद्यालयों को भेजी जाती है।

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी श्रीवास्तव।
- 2- निदेशक मैजिस्ट्री शिक्षा हाथियावाट कडीक
- 3- सचिव हरियाणा शिक्षा